रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 126] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 1976/चैत्र 11, 1898
No. 126] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 1976/CHAITRA 11, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 31st March, 1976

G.S.R. 269(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 9 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees of the Port of Marmagao and notifies the persons mentioned against serial numbers 10 to 14 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

THE TABLE

1. Shri R. J. Majithia, I.A.S.	Chairman
2. Deputy Collector of Customs, Goa.	Representing the Customs Department.
3. Divisional Superintendent, Hubli.	Representing the Indian Railways.
4. Naval Officer-in-charge, Goa.	Representing the Defence Services.
5. Principal Officer, Mercantile Marine Department, Bombay.	Representing the Mercantile Marine Department.

6. Divisional Manager, The Minerals and Metals Trading Corporation, Goa.	Representing the Minerals and Metals Trading Corporation of India Limited.
7. The Secretary to the Government of Goa, Daman and Diu, Industries and Labour Department, Panaji.	Representing the Government of Goa, Daman and Diu.
8. Regional Manager, Indian Oil Corporation Limited, Western Region, Bombay.	Representing the Indian Oil Corporation Limited.
9. Zonal Manager (West), Food Corporation of India, Bombay.	Representing the Food Corporation of India.
10. Shri Chandrakant B. Arolkar.	Representing the Marmagao Municipal Council.
11. Shri V. M. Salgaocar.	Representing the Indian National Shipowners' Association.
12. Shri V. D. Chogule.	Representing the Goa Mineral Ore Exporters' Association.
13. Shri Vasantrao S. Dempo.	Representing the Goa Chamber of Commerce and Industry.
14. Shri K. A. Varugis.	Representing the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1976.

[No. F. PTB-40/75]

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1976

सा० का० नि० 269 (अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उक्त धारा उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी की क्रम सं० 1 से 9 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को मरमुगाव पत्तन न्यासी बोर्ड के न्यासियों के रूप में नियुक्त करती है और उक्त सारणी के क्रम सं० 10 से 14 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड के निर्वाचित न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है।

सारणी

1.	श्री आर० जे० मजीठिया, अ० भा० से० ।	..	अध्यक्ष ।
2.	उप-कलक्टर, सीमा-शुल्क गोवा ।	..	सीमा-शुल्क विभाग का प्रतिनिधि ।
3.	प्रभागीय अधीक्षक, हुबली ।	..	भारतीय रेलवे का प्रतिनिधि ।
4.	नौ सेना प्रभारी आफिसर, गोवा ।	..	रक्षा सेवा का प्रतिनिधि ।
5.	प्रधान अधिकारी, समुद्री वाणिज्य विभाग, मुम्बई ।	..	समुद्री वाणिज्य विभाग का प्रतिनिधि ।
6.	प्रभागीय प्रबन्धक, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, गोवा ।	..	मिनरल एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का प्रतिनिधि ।

7.	गोवा, दमण और दीव, सरकार, उद्योग और श्रम विभाग, पणजी का सचिव ।	.. गोवा, दमण और दीव का प्रतिनिधि ।
8.	क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय तेल निगम लिमिटेड पश्चिमी क्षेत्र, मुम्बई ।	.. भारतीय तेल निगम लिमिटेड का प्रतिनिधि ।
9.	परिक्षेत्रीय प्रबन्धक (पश्चिम) भारतीय खाद्य निगम, मुम्बई ।	.. भारतीय खाद्य निगम का प्रतिनिधि ।
10.	श्री चन्द्रकान्त बी० अरोलकर ।	.. मरमुगाव नगरपालिका परिषद् का प्रतिनिधि ।
11.	श्री बी० डी० सालगावकर ।	.. भारतीय राष्ट्रीय पोत स्वामी संघ का प्रतिनिधि ।
12.	श्री बी० डी० चौगुले ।	.. गोवा खनिज अयस्क निर्यातकर्ता संघ का प्रतिनिधि ।
13.	श्री वसन्त राव एस डेम्पो ।	.. गोवा वाणिज्य और उद्योग मण्डल का प्रतिनिधि ।
14.	श्री के० ए० वारुगिस ।	.. भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ का प्रतिनिधि ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त होगी ।

[सं० फा० पी टी बी०-40/75]

G.S.R. 270(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 8 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees of the Port of Paradip and notifies the persons mentioned against serial numbers 9 to 11 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

THE TABLE

1. Shri Premananda Tripathy, I.A.S.	Chairman
2. Collector of Central Excise, Bhubaneswar.	Representing the Customs Department.
3. Divisional Superintendent, Khurda Road.	Representing the Indian Railways.
4. Chief of Staff to the Flag Officer, Commanding-in-Chief, Eastern Naval Command, Visakhapatnam.	Representing the Defence Services.
5. Divisional Manager, Minerals and Metals Trading Corporation of India Limited, Paradip.	Representing the Minerals and Metals Trading Corporation of India Limited.
6. Principal Officer, Mercantile Marine Department, Calcutta.	Representing the Mercantile Marine Department.
7. Secretary to the Government of Orissa, Commerce and Transport Department.	Representing the Government of Orissa.
8. Chairman, Orissa Mining Corporation.	
9. Shri B. P. Mohanty.	Representing the Orissa Chamber of Commerce and Industry, Cuttack.
10. Shri N. K. Mahapatra.	Representing the Utkal Chamber of Commerce and Industry, Cuttack.

11. Shri J. J. Mehta.	Representing the Indian National Shipowners Association.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1976.

[No. F. PTB-38/75]

K. SIVARAJ, Jt. Secy.

सा० का० नि० 270 (अ) — केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी की क्रम संख्या 1 से 8 के सामने उल्लिखित व्यक्ति को पारादीप पत्तन न्यासी बोर्ड के न्यासियों के रूप में नियुक्त करती है और उक्त सारणी की क्रम स मे 11 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड के निर्वाचित न्यासियों के रूप मे अधिसूचित करती ।

सारणी

1.	श्री प्रेमानन्द त्रिपाठी, अ० भा० से०	..	अध्यक्ष
2.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर, भुवनेश्वर	..	सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधि
3.	प्रभागीय अधीक्षक, खुरदा रोड़	..	भारतीय रेलवे का प्रतिनिधि
4.	फ्लैग आफिसर, कमांडिंग इंचीफ, पूर्वी नौ सेना कमान्ड, विशाखा पत्तनम का चीफ आफ स्टाफ	..	रक्षा सेवाओं का प्रतिनिधि ।
5	मिनरल्स एण्ड मेटलस ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, पारादीप का प्रभागीय प्रबन्धक	..	मिनरल्स एण्ड मेटलस ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का प्रतिनिधि ।
6.	प्रधान अधिकारी, समुद्री वाणिज्य विभाग कलकत्ता	..	समुद्री वाणिज्य विभाग का प्रतिनिधि ।
7.	उड़ीसा सरकार, वाणिज्य और परिवहन विभाग का सचिव	..	उड़ीसा सरकार का प्रतिनिधि ।
8.	अध्यक्ष, उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन		
9.	श्री बी पी मोहान्ती	..	उड़ीसा वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल, कटक का प्रतिनिधि ।
10.	श्री एन० के महापात्र	..	उत्कल वाणिज्य और उद्योग मण्डल, कटक का प्रतिनिधि ।
11.	श्री जे जे मेहेता	..	भारतीय राष्ट्रीय पोत स्वामियों के संगम का प्रतिनिधि ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त होगी ।

[सं० फा० पी टी बी–38/75]

के० शिवराज, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976